UPGK010010212026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–479/2026

मुकेश यादव पुत्र भगवान यादव निवासी ग्राम कोटिया, थाना गोला, जनपद गोरखपुर।

..........**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–146/2025
अंतर्गत धारा–115(2),352,351(3),191(2) बी०एन०एस०
व धारा 3(1) द,ध, 3(2)va SC/ST Act
थाना–गोला, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 19–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **मुकेश यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, वादी मुकदमा की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता जरिये वकालतनामा उपस्थित है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय चमार दिनांक 12/4/25 को लगभग 10:00 अपनी टेंपो लेकर पकड़ी की तरफ से घर आ रहे थे तभी गाजेगडहा चौराहे पर जेसीबी और डंपर बेतरतीब ढंग से खड़ा करके कुछ लोग रास्ता जाम किए थे। मेरे द्वारा हार्न बजाने पर उक्त लोग नाराज होकर मेरे पास आ गए और नाम पूछे जब मैं अपना नाम संजय चमार बताएं तो वे लोग और उग्र हो गए तथा मुकेश व अमलेश पुत्र भगवान व लाला पुत्र अनिल वर्मा व अंशु यादव पुत्र अशोक यादव शाह कोटिया थाना गोला व संदीप पुत्र मैनेजर यादव सा0 गाजेगडहा द्वारा प्रार्थी को गाड़ी से खींचकर कहे की चमरिया मादरचोद तुम्हारी इतनी हिम्मत आदि गाली देते हुए लात घुसो से बुरी तरह मारे पीटे और जान से मारने की धमकी देने लगे। जिससे प्रार्थी की गर्दन पर गंभीर चोट आई है और गर्दन घुमाने में परेशानी हो रही है। उक्त लोग मनबढ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं उनमें से सभी लोग बिना लाइसेंस के डंपर व जेसीबी आदि चलाते हैं। गाड़ी में पीछे बैठे संजीव कुमार व उनकी बहन ने बीच बचाव किया तब वे लोग धमकी देते हुए चले गए। प्रार्थी काफी भयभीत एवं डरा हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई जुर्म नही किया है। फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। वादी मुकदमा मेरे

पट्टीदारों के साजिश में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है। जबकि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। प्रार्थी के पास न तो डम्फर है और न ही जे०सी०बी० है। प्रार्थी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे फिर भी प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया गया है। मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा कथित घटना में भी प्रार्थी की कोई संलिप्तता नही रही है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को लात घुसो से बुरी तरह मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर गाली गुप्ता देने का आरोप लगाया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध चिकित्सीय रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा चोटहिल को कुल दो चोटें आना बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट में NAD अंकित है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक /अभियुक्त **मुकेश यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–479/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 17:07:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court